

Date - 14/05/2020

नाम - (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना) पृष्ठ संख्या 2/4
योजना का पूरा नाम - कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
योजना का अनुमोदन - भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा
योजना का प्रारम्भ - वर्ष 2004-2005 में
योजना का उद्देश्य - लिंगानुपात को कम कर, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी बालिकाओं को शिक्षित करना।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रकार

उत्तर प्रदेश में दो मॉडल के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्वीकृत हैं -

मॉडल प्रथम → 100 बालिकाओं के लिए

मॉडल द्वितीय → 50 बालिकाओं के लिए

Note → कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत सभी विद्यालय आवासीय हैं एवं उक्त विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खण्डों में स्थापित किए जाते हैं जिनकी महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है तथा लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत दर से अधिक है।

अवकाश व्यवस्था

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्टाफ के लिए -

स्टाफ को वर्ष भर में 14 आकरिभक अवकाश 135 दिनी का अर्वातानिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है।

विद्यालय की बालिकाओं के लिए अवकाश व्यवस्था -

कुछ प्रमुख पर्व पर, आकरिभक अवकाश, फीरो मिलान कर ही अभिभावकों को सौंपा जाता है बालिकाओं को

महत्त्वपूर्ण बिन्दु ->

- * वॉर्डन कम शिक्षिका पद पर पूर्णकालिक शिक्षिका एवं महिला अङ्गचर्यी का ही चयन किया जाता है।
- * समस्त कर्मचारी पद एक वर्ष की सार्वदा पर होते है प्रत्येक वर्ष कार्यकाल में
- * नियुक्ति में आवश्यकतानुसार निरीक्षण की सुविधा।
- * विद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है।
- * शैक्षिक स्टाफ को सहयोग के लिए प्रथम से एक मेन्टर की नियुक्ति की जाती है।

Continue----